

-यापलाय लतापक कृष्णदास शर्मा-

| | | |
|------------------------|--|--|
| <p>तारीख हुक्म</p> | <p>3 अक्टूबर 1981 को गौरीबोकर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलिस जज क्र. नं. 98/1981.</p> | <p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p> |
|------------------------|--|--|

24/5/82

पत्रा संख्या-वाणीगाँव को सार्वजनिक परिसर/बुंदी
वाणीगाँव ग्राम-कबीला इपलियात - वाणीगाँव/वाणीगाँव
सार्वजनिक परिसर आवाप का प्रकाशित किया गया कि,
हम परिसर/कारण को मध्य सार्वजनिक हो-डुका
है। जब इस पत्र को, आगे चलाना नहीं चाहे
है। उसे सभी स्तर पर विज्ञापित किया जावे -

इसके वाणीगाँव ग्राम कबीला को डुका गणतंत्र
वाणीगाँव एवं प्रसिद्धिगाँव को मध्य सार्वजनिक
हो-डुका है। कहा, वाणीगाँव का सार्वजनिक परिसर
स्वीकार किया जाकर 31/1/1981 वाणीगाँव वाणीगाँव
स्तर पर विज्ञापित किया जावे। वाणीगाँव
को हस्तांतरण कराये गये परिसर/वाणीगाँव
इसकी को गयी। पत्रा संख्या-डुका/वाणीगाँव
नम्बर ले कर की जाकर वाणीगाँव/वाणीगाँव

कृष्णदास शर्मा
24/5/82

महायक मलकर
वाणीगाँव